प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 24.10.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये पत्नी की हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.01.2023 को वादी हरिश्चन्द्र पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम अयाना जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली इटावा पर वादी की बहन प्रीती उम्र 35 वर्ष का ससुरालीजनों द्वारा उत्पीडन करना व तीसरी मंजिल से फेंककर हत्या कर देने के संबंध मे तहरीर दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0- 03/2023 धारा 498 A/302/506 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक श्री भुपेन्द्र राठी थाना कोतवाली इटावा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम पैरोकार का0 रोहित कुमार एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व डीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजीव पुत्र नेम सिंह को आज दिनांक 24.10.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजीव पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा।**